

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

नामूराम

बनाम

ऊंकार

कार्यवाही अन्तर्गत

125/2020

किस्म मुकदमा

प्राचीन पत्र

नं.

30

सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>15/11/2020</p> <p>2020</p> <p>08067</p>	<p>पम्पल्ली प्रशासन गाँवों के संग कमिश्नर 2020 के तहत गा-प-सैमसिपा पर आवेजित शिथिल में निस्तारण हेतु को जारी गये। हमने पम्पल्ली का अवलोकन किया। प्राचीन ग्राम सैमसिपा की आ.न. 1609/530, 1610/572, 569 मी, 1611/1163 कीता प रकब 2.36 हे. भूमि की पत्थरगढ़ी काते हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। पम्पल्ली के संलग्न नमल जमावही संवत् 2068-2071 अनुया। उक्त आराजी प्रताप पिल मेरा अहीर सा. देह खेतार के नाम के हैं। प्राचीन नामूराम पिल मेरा अहीर के नाम पर ग्राम सैमसिपा की आ.न. 530 मी. 570, 572 मी, 1163 मी कीता प रकब 2.35 हे. भूमि की रखाई है। अतः प्राचीन के नाम रकतेदारी एक से दूजे ग्राम सैमसिपा (लिख आराजी संख्या 530 मी., 570, 572 मी. 1163 मी कीता प कुल रकब 2.35 हे. भूमि की बिना किसी के कले से पम्पलराजी किए (केरलमेवर नमसे अनुया। पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं किमिश्नर शुल्क 1500.000 रुपये एक हजार पांच सौ ब्याप प्राचीन वहन कोषण। पम्पल्ली तहसीलराज चित्तौड़गढ़ को लिखा जाके कि पम्पलराज को लिखित हुक्म देकर निम्नानुया पत्थरगढ़ी की जाके एवं पम्पल्ली लिपेट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पम्पल्ली के संग शुमा. होकर नमसे ले कम. है।</p>	

(श्याम सुन्दर विश्वाइ)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)